

कार्यालय आदेश सं०-१२/ 2021

सकाधि/सोनपुर के टिप्पणी सं०-का/227/एसएस /सीजी/गुप-डी/ प्रशिक्षण /सोन /16 दिनांक 13.01.2021 के अनुपालन में अनुकम्पा के आधार पर यांत्रिक / समाडी विभाग में हेल्पर लेवल-1 के पद पर नियुक्ति हेतु की गयी अनुशंसा के अलोक में श्रीमती रानी कुमारी w/0स्व० दीनानाथ सिंह,(EX.Tech-II/TRD/NNA) जो A-3 & below with DV glass चिकित्सा श्रेणी में फिट घोषित है, को प्रतिमाह 18000/- रु० एवं समय समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते के साथ नियुक्ति कर समाडी डिपो/बरौनी में पदस्थापित किया जाता है।




इनकी नियमित नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जायेगी। ये रेल परिषद के पत्र सं०-एफ/ई/111/2003/पी-एन/24 दिनांक 31.12.2003 के अनुसार 01.01.04 से लागू नये पेंशन नियम के तहत शासित होंगे।

इन्हें रेलवे द्वारा प्रादेशिक सेना में सात वर्ष तक या प्रशासन द्वारा निर्धारित अवधि तक सेवा करनी होगी। इनका रेल सेवा में बना रहना पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन पर निर्भर करेगा। किसी प्रकार का सत्यापन संदिग्ध/गलत/फर्जी पाये जाने पर इनको बिना किसी सूचना के रेल सेवा से हटा दिया जाएगा।

श्रीमती रानी कुमारी की नियुक्ति के संबंध में वे सभी शर्तें लागू होगी जो एक अस्थायी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पर लागू होती है।

RBE No-51/2018 के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर विधवा के नियुक्ति के मामले में Prescribed educational qualification में छूट प्रदान किया गया है। अतः 06 माह का जाब प्रशिक्षण करना अनिवार्य नहीं है, परन्तु आवश्यक प्रशिक्षण करवा कर ही कार्य पर लगाया जाए।

श्रीमती रानी कुमारी के आवश्यक पहचान हेतु सत्यापित फोटो, हस्ताक्षर का नमूना एवं अंगूठे का निम्नानुसार अभिप्रेषित है।

ई/समाडी /सोनपुर महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(बिजय इंजीनियर)

सकाधि-111

कृते मंत्र (का०)/सोनपुर

दिनांक:- 01.02.2021

सं०:- का/227/याँ/समाडी/अनुकम्पा/सोन/भाग-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01.वमयाई/समाडी, वमविप्र/सोनपुर।

02.समयाई/समाडी / बरौनी

03.सी०से०ई०/समाडी /बरौनी

04.मुख्य कार्याधी/विल/बरौनी।

05.संबंधित कर्मचारी। 07. अभिलेख प्रति।

06.मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी, अजा-अजजा एशो/सोनपुर मंडल।

कृते मंत्र (का०)/सोनपुर